

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या: 87/2017/2995/दो-2-2017-4/2(3)/14
लखनऊ: दिनांक: 24 अगस्त, 2017

कार्यालय ज्ञाप

डा0 राकेश वर्मा, पी0सी0एस0, विशेष सचिव, परती भूमि विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 3.8.2017 में निजी व्यय पर दिनांक 24.8.2017 से 20.9.2017 के मध्य दुबई की विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान किये जाने विषयक पत्र पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 राकेश वर्मा को दिनांक 24.8.2017 से 20.9.2017 तक की अवधि में निजी व्यय पर दुबई की विदेश यात्रा तथा देयता की स्थिति में उक्त अवधि के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व अपने नियंत्रक अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रस्थान करेंगे।

उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या: (1)/दो-2-2017-4/2(3)/14 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, सिंचाई, जल संसाधन एवं परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
2. डा0 राकेश वर्मा, पी0सी0एस0, विशेष सचिव, परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
3. संयुक्त सचिव, इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग), उ0प्र0शासन।
4. नियुक्ति अनुभाग-7

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।